न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 05, गाजियाबाद।

Reg No-70278/2022
परिवाद संख्या-2853/2022
श्रीमती आरती बनाम अनुराग शेखर आदि
थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद।
दिनांकः 05.09.2023

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व सुना जा चुका है। आज पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादी की ओर से विपक्षीगण को परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं में विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु योजित किया गया है।

परिवाद के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादनी का विवाह विपक्षी सं01 के साथ दिनांक 15. 03.2021 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार डी.सी.आर. गार्डन सीकरी खुर्द मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में काफी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था। परिवादनी की उक्त शादी में उसके पिता द्वारा अपनी हैसियत से अधिक 15 लाख रुपये खर्च कर शादी में सभी ब्राण्डेड सामान मये सूची के विपक्षीगण को दिया था जिसे सभी विपक्षीगण ने मये सूची के प्राप्त करते हुये परिवादनी व उसके पिता इत्यादि को यह विश्वास दिलाया था कि सूची में अंकित सभी सामान आरती का स्त्रीधन है और हमारे पास हमेशा ही अमानत के रूप में सुरक्षित रहेगा जब भी आरती/ परिवादनी हमसे अपने स्त्रीधन की मांग करेगी उसको मये सूची के समस्त सामान वापस कर दिया जायेगा। परिवादनी के स्त्रीधन की सूची इस परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। विवाह के पश्चात जब परिवादनी बिदा होकर विपक्षीगण के घर गयी तो उसी दिन विपक्षीगण ने परिवादनी को कम दहेज लाने के लिऐ मारते हुये कहा कि "हम तो सस्ते में लुट गये" इस बात को परिवादनी ने नजरअंदाज कर दिया परन्तु दिनांक 21.03.2021 तक परिवादनी अपनी ससुराल में रही तो हर रोज विपक्षीगण, परिवादनी को बात बात पर दहेज का ताना देते रहे। विपक्षी सं03 ने परिवादनी के समस्त सोने चांदी के जेवरात यह कहकर ले लिये कि समय बहुत खराब है कभी कुछ भी हो सकता है तेरे जेवरात में सुरक्षित रख दूंगी जब जरूरत होगी वापिस कर दूंगी, परिवादनी से समस्त जेवरात ले लिये।विवाह के पश्चात पहली बार सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 21.03.2021 को परिवादनी के पिता, भाई एवं मामा श्री किशनपाल, परिवादनी को लाने के लिये उसकी ससुराल गये तो विपक्षीगण ने परिवादनी के पिता भाई व रिश्तेदारों की बहुत ही बेइज्जती की और कहा कि हम तो स्विफ्ट डिजायर कार चाह रहे थे परन्तु तुमने तो हमारी समाज के सामने नाक कटा दी और कहा कि "हमारा बेटा होटल मैनेजमेन्ट की डिग्री प्राप्त है उसकी भी इज्जत नहीं रखी" और कहा कि अब तो तुम ले जाओ होली के बाद जब हमारा लडका आपकी लडकी को लेने जायेगा तब वहीं पर बात होगी। दिनांक 30.03.2021 को पहली होली के बाद जब विपक्षी सं01 परिवादनी को लाने के लिये उसके मायके गया तो वहां पर विपक्षी सं01 ने स्विफ्ट डिजायर गाडी के लिये हंगामा किया तब परिवादनी के माता पिता एवं उपस्थित रिश्तेदारों ने बडी मुश्किल से विपक्षी सं01 को समझाया। परिवादनी यह सोचकर कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई दरार पैदा न हो विपक्षी सं01 के साथ अपनी ससुराल आ गयी। विपक्षी सं01 परिवादनी को लाते समय परिवादनी के माता पिता से स्विफ्ट कार व पांच लाख रूपये का इन्तजाम करने की बात कहकर गया। परिवादनी अपनी शादी से पूर्व अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने

के लिये बी.ई.एल. (भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०) साहिबाबाद गाजियाबाद में ठेकेदारी में जॉब करती थी यह बात विपक्षी सं01 को भली प्रकार ज्ञात थी अप्रैल 2021 के प्रथमसप्ताह में विपक्षी ने परिवादनी पर पुनः नौकरी करने का दबाव बनाया और कहा कि जब तू कमाकर अपने मां बाप को जिला सकती है तो तुझे, मुझे भी कमाकर खिलाना होगा। परिवादनी ने इस बात का विरोध किया तो विपक्षीगण सं० ता 3 ने एक षडयंत्र करके माह अप्रैल की 6–7 तारीख को परिवादनी के रसोई में खाना बनाते समय गैस का पाईप निकाल कर आग लगाकर परिवादनी को मारने का प्रयास किया परन्तु किसी तरह से परिवादनी बच गयी। परिवादनी ने मजबूरीवश विपक्षीगण की बात मानकर पुनः बी.ई.एल. में पुनः ठेकेदारी में जॉब कर ली इसके बावजूद भी विपक्षीगण की उक्त दहेज की मांग खत्म नहीं हुई तथा माह अप्रैल 2021 के अन्तिम सप्ताह में परिवादनी के कमरे में रखे कूलर का तार काटकर करंट द्वारा परिवादनी की हत्या करने का प्रयास किया। उपरोक्त घटना से परिवादनी काफी घबरा गई परिवादनी ने अपने माता पिता को फोन पर सूचना दी तो परिवादनी के माता पिता व रिश्तेदार विपक्षीगण के घर गये व उक्त सम्बन्ध में बात की तो विपक्षीगण ने अपनी गलती स्वीकार की और आगे ऐसी गलती न करने की कसम खाई, परिवादनी का वैवाहिक जीवन खराब न हो इसलिये उक्त घटना की पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। उपरोक्त के बावजूद भी विपक्षीगण का दहेज का लालच कम नहीं हुआ और परिवादनी को तरह– तरह से तंग व परेशान करते रहे परिवादनी नौकरी करके जो सैलरी लाती थी उसे विपक्षी सं01, परिवादनी से छीन लेता था। परिवादनी को विपक्षीगण के साथ रहते हुए ही पता चला कि विपक्षी सं01 के कॉलेज के दिनों की किसी महिला से सम्पर्क में है जिससे विपक्षी सं01 के सम्बन्ध भी है परिवादनी ने उक्त सम्बन्ध में विपक्षी सं01 को समझाया तो विपक्षी सं01 जे परिवादनी को गाली गलौच करके मारपीट की और धमकी देते हुये कहा कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर तेरे लिये उसको नहीं छोड़ सकता। दिनांक 11.07.2021 को परिवादनी के पिता व भाई रीति रिवाज के अनुसार सिदारा लेकर विपक्षीगण के घर गये जो कि विवाह के बाद का पहला सावन था, परिवादनी को अपने साथ ले आये परिवादनी ने त्यौहार पर जेवरात पहनने के लिये मांगे तो विपक्षनी सं03 ने परिवादनी के जेवरात देने से साफ मना कर दिया। दूसरे दिन परिवादनी ई. एस. आई. कार्यालय से अपने मायके वापस आ रही थी तो विपक्षी सं01 रास्ते में मिल गया तथा परिवादनी को घर छोड़ने के बहाने परिवादनी को मोटर साईकिल पर बैठा लिया और परिवादनी को जान से मारने की नियत से एम. एम. कॉलेज मोदीनगर के सामने चलती मोटर साईकिल से नीचे गिरा दिया और भाग गया जिससे परिवादनी को काफी चोटें आयी और मौके पर इकट्ठे हुये लोगों ने परिवादनी को सिटी केयर अस्पताल मोदीनगर में भर्ती कराया। उपरोक्त घटना के बाद विपक्षी सं01 के कृत्य के सम्बन्ध में परिवादनी के परिवार वालों व रिश्तेदारों व पडौसी के द्वारा विपक्षीगण के घर जाकर समझाने का प्रयास किया दिनांक 28.07.2021 को पंचायत की किन्तु भरी पंचायत में विपक्षीगण मे एक स्विफ्ट कार व पांच लाख रुपये नकद लिये बगैर परिवादनी को ससम्मान रखने से साफ इंकार कर दिया और बेइज्जत करके भगा दिया। दिनांक 26.07.2021 को परिवादनी अपने भाई के साथ विपक्षीगण के घर गयी किन्तु विपक्षीगण ने परिवादनी को घर के अन्दर नहीं घुसने दिया और धक्के मार कर भगा दिया। मजबूर होकर परिवादनी द्वारा थाना मोदीनगर में अं० धारा– 323,504,506,354 आई.पी.सी. एवं 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत मु0 अ 0 सं0–765/2021 दर्ज कराया। परिवादनी दिनांक 11.07.2021 से ही अपने मायके में रह रही है विपक्षीगण ने परिवादनी की कोई खबर सुध नहीं ली है बिना उक्त दहेज की मांग पूरी किये परिवादनी को अपने साथ रखने को कदाचित भी तैयार नहीं है। परिवादनी का समस्त स्त्रीधन अपने नाजायज कब्जे में किया हुआ है बार– बार मांगने पर भी नहीं दे

रहे हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर विपक्षीगण को उपरोक्त धाराओं में तलब कर दंडित किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी द्वारा परिवाद के कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षीगण कमल गिरी व तरूण कुमार को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।

न्यायालय द्वारा तलबी के बिन्दु पर आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्रकरण में धारा 202(1) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में जाँच कर जाँच आख्या तलब की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या के अनुसार परिवादी ने दहेज की मांग को लेकर विपक्षीगण के विरूद्ध मु०अप०सं० 765/2021 धारा 323,504,506,354 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कराया है व धारा 12 डी०वी०एक्ट का मुकदमा भी दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है। परिवादी का समस्त स्त्रीधन विपक्षीगण के पास है जिसे विपक्षीगण देने के लिए तैयार है। परिवादी के परिवाद पत्र, बयान धारा 200 व 202 दं०प्र०सं० व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे विपक्षीगण को तलब किया जा सकें। पत्रावली साक्ष्य के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(संदीप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०–5 गाजियाबाद।
JO UP–2358

दिनांकः 05.09.2023